

**::स्थायीकरण आदेशः**

संस्था प्रधानाचार्यो द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2008 नियम-19 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को सन्तोषजनक रूप में पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख पद पर स्थायी किया जाता है:-

**अनुदेशक स्टेनोग्राफी**

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	सीधी भर्ती के पद का नाम
(01)	(02)	(03)
01	श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	अनुदेशक स्टेनोग्राफी
02	श्री आई०डी० तिवारी	अनुदेशक कामर्शियल प्रैक्टिस
03	श्री विवेकानन्द	अनुदेशक स्टेनोग्राफी
04	श्री नरेन्द्र सिंह	अनुदेशक स्टेनोग्राफी
05	श्रीमती विमला रौतेला	अनुदेशक स्टेनोग्राफी
06	श्रीमती मीना अदलखां	अनुदेशक स्टेनोग्राफी

2-उपरोक्त आदेश के क्रमवार से ज्येष्ठता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(हरि सिंह)  
निदेशक।

**प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)**

पृ०सं०-3978-81 / नि०प्रा०शि० / स्था०-31 / 2020-21

दिनांक 02 दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त, प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी, कोषागार।
- 3-सम्बन्धित कार्मिक को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
- 4-गार्ड फाइल।

(हरि सिंह)  
निदेशक।